

24
2016

A6
7

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियाँ, आर.ए.एस.



अपील प्रकरण सं० 22/16

रणवीरसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जरिये मुख्यारेआम सोहनसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सन्तप्रकाश पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलवन्तकौर पत्नी श्री सन्तप्रकाश जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर।

रेस्पो.

अपील विरुद्ध इंतकाल सं० 687 दिनांक 11.12.15 तहसीलदार, पदमपुर

अपील प्रकरण सं० 24/16

रणवीरसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जरिये मुख्यारेआम सोहनसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सन्तप्रकाश पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलवन्तकौर पत्नी श्री सन्तप्रकाश जाति जटसिख निवासी 31 आर बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पदमपुर।

रेस्पो.

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.12.15 तहसीलदार, पदमपुर

उपस्थित : श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मलकियतसिंह नंदा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो० 1 व 2
राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से

Law
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आदेश

दिनांक : 16.03.2017

उपर्युक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है क्योंकि दोनों अपीलों के पक्षकार एक समान हैं तथा अपील सं० 22/16 में इंतकाल सं० 687 को चुनौति दी गई है, जो अपील सं० 24/16 में अपीलकृत आदेश दिनांक 9-12-15 के आधार पर पारित किया है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में शामिल की जावे।

अपील सं० 22/16 के सक्षिप्त तथ्य :

अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व विधि के आज्ञाप्क प्रावधानों की पालना में नोटिस अथवा सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है जबकि इंतकाल तस्दीक से पूर्व मृतक बलवन्तसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को सूचना अथवा नोटिस दिया जाना था। अपीलाधीन इंतकाल वसीयत एवं विरासतन दोनों के द्वारा पारित किया गया है जबकि कानूनन दोनों में से किसी एक प्रकार से ही इंतकाल तस्दीक किया जाना चाहिये था। वसीयत के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन इंतकाल एकपक्षीय पारित किया गया है। मौके एवं कब्जे की जांच नहीं की गई है। विवादग्रस्त आराजी पैतृक है, जिसे बलवन्तसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त फरमाया जावे।

अपील सं० 24/16 के सक्षिप्त तथ्य :

अपीलाधीन इंतकाल पारित करने से पूर्व विधि के आज्ञाप्क प्रावधानों की पालना में नोटिस अथवा सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है जबकि इंतकाल तस्दीक से पूर्व मृतक बलवन्तसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को सूचना अथवा नोटिस दिया जाना था। अपीलाधीन इंतकाल वसीयत एवं विरासतन दोनों के द्वारा पारित किया गया है जबकि कानूनन दोनों में से किसी एक प्रकार से ही इंतकाल तस्दीक किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व साक्ष्य एवं सुनवाई का कतई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन वसीयत दिनांक 9-11-15 के आधार पर पारित किया गया है जबकि वसीयत में स्पष्ट रूप से दूसरे पुत्र रणवीरसिंह (अपीलार्थी) का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान न करने में कानूनी भूल की गई है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व मृतक बलवन्तसिंह के कानूनी वारिसों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है जबकि बलवन्तसिंह के सन्तप्रकाश पुत्र, जसवीरकौर पुत्री के अलावा रणवीरसिंह पुत्र वारिश है। सर्वमान्य सिद्धान्तों के अनुसार इंतकाल वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने चाहिये। वसीयत में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति से खरीद शुदा आराजी है, जिससे समस्त कृषि भूमि की वसीयत प्रारम्भतः शून्य वसीयत है, जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्ती के योग्य है। बलवन्तसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9-12-15 को निरस्त फरमाया जावे तथा विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

Law

अति.जिला क्लर्क (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त अपीलों से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक से पूर्व मृतक बलवन्तसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल वसीयत एवं विरासतन दोनों के आधार पर पारित किया गया है जबकि कानूनन दोनों में से किसी एक प्रकार से ही इंतकाल तस्दीक किया जाना चाहिये था। वसीयत के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकते हैं। अपीलाधीन इंतकाल एकपक्षीय पारित किया गया है। मौके एवं कब्जे की जाँच नहीं की गई है। विवादग्रस्त आराजी पैतृक है, जिसे बलवन्तसिंह को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आदेश वसीयत दिनांक 9-11-15 के आधार पर पारित किया गया है जबकि वसीयत में स्पष्ट रूप से दूसरे पुत्र रणवीरसिंह (अपीलार्थी) का उल्लेख किया गया है। बलवन्तसिंह के सन्तप्रकाश पुत्र, जसवीरकौर पुत्री के अलावा रणवीरसिंह पुत्र वारिश है। वसीयत में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति से खरीद शुदा आराजी है, जिससे समस्त कृषि भूमि की वसीयत प्रारम्भतः शून्य वसीयत है, जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्ती के योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में आर आर डी 2008 पेज 186, आर आर टी 2016 (2) पेज 1378, आर आर टी 2015(2) पेज 1434, आर आर डी 1994 पेज 486, आर आर डी 2003 पेज 415 एवं आर आर डी 1998 पेज 553 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9-12-15 को निरस्त फरमाया जावे तथा विरासतन इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन इंतकाल सं० 687, अपीलकृत आदेश दिनांक 9-12-15 के आधार पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 9-12-15 पारित करने से पूर्व पक्षकारों को विधिवत् सूचना जारी की गई है। समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित करवाई गई है। वसीयत के गवाहान से वसीयत का सत्यापन करवाया गया है। समस्त विधिक औपचारिकताओं के उपरांत अपीलकृत आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। वसीयत जिला पंजीयक द्वारा रजिस्टर्ड की गई है। निर्धारित शुल्क जमा करवाया गया है। जिला पंजीयक के समक्ष गवाहान उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने वसीयत का सत्यापन किया है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। यदि अपीलार्थी से पंजीकृत वसीयत से व्यथित है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौति दी जानी चाहिये। अपने तर्कों के समर्थन में आर आर टी 2017(1) पेज 95 एवं 2016(1)सीजे (सिविल) (राज०) पेज 60 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट की अपील सारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Leary
अति.जिला क्लर्क (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि संतप्रकाश रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयतकर्ता बलवन्तसिंह का देहान्त दिनांक 17-3-15 को हो चुका है। अतः वसीयत के आधार पर अमल दरामद का आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भूमि स्वअर्जित है, जिसमें किसी प्रकार का विवाद एवं स्थगन नहीं है। वसीयत अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना उचित बताया है। वसीयतकर्ता बलवन्तसिंह द्वारा दिनांक 10-2-09 को बंद वसीयत जिला पंजीयक कार्यालय में करवाई गई थी। वसीयतकर्ता बलवन्त सिंह के देहान्त दिनांक 17-3-15 को जाने के बाद दिनांक 9-11-15 को विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए संतप्रकाश द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत कर, वसीयत को खुलवा कर पंजीबद्ध करवाई गई है। गवाहान द्वारा वसीयत का सत्यापन किया गया है। निर्धारित शुल्क जमा करवाया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 2.12.15 के अनुसार वसीयत में वर्णित भूमि स्पष्टतः स्वयं अर्जित है। पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत रिपोर्ट की गई है। वसीयत के संबंध में दिनांक 16-11-15 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। वसीयत के गवाहान मनदीपसिंह एवं शिवरतन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयत का सत्यापन किया गया है। जसवीरकौर जो वसीयतकर्ता बलवन्तसिंह की पुत्री है, ने भी वसीयत का सत्यापन किया है तथा अपने भाई व उसकी पत्नी कुलवन्तकौर के नाम वसीयत के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करने का कथन किया है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने की समयावधि के बाद, कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 9-12-15 पारित किया गया है, जिसके आधार पर अपीलकृत इंतकाल सं0 687 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश एवं इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2017 (1) पेज 95 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956- धारा 135 व 76- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956- धारा 14- नामान्तरण- रजिस्टर्ड वसीयत- विरजादेवी को सम्पति उसके भाई से प्राप्त हुई - विरजा देवी का पूर्ण स्वामित्व तथा वह वसीयत निष्पादित करने हेतु सक्षम थी - प्रश्नगत भूमि पैतृक नहीं थी - निर्णीत, निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय संवहनीय नहीं है व अपास्त किये।

इसी न्यायिक दृष्टान्त में यह महत्पूर्ण बिन्दू निर्धारित किया गया कि :-

Law
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Imp. Point < Absolute owner of the property is competent to execute the Will.

हस्तगत अपील प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार विवादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक नहीं थी।

इसी न्यायिक दृष्टान्त में पेज 99 पैरा सं० 9 में यह भी मत व्यक्त किया गया कि पंजीबद्ध दस्तावेज की विश्वसनीयता पर सन्देह उचित नहीं है जब तक इसे सक्षम सिविल न्यायालय से साबित नहीं करा लिया जाये। इस दस्तावेज की वैधता के संबंध में आक्षेप करता है। न्यायिक दृष्टान्त 2009 (2) आर आर टी पेज 729 पर प्रकरण उन्वानी अब्दुल रहीम व अन्य बनाम एस०के० अब्दुल जब्बर व अन्य में सर्वोच्च न्यायालय की लार्जर बेंच का भी उद्धरण लिया गया है।

चूंकि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिए अपीलांत के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण चर्या नहीं होते हैं।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही कर, अपीलकृत आदेश दिनांक 9-12-15 पारित किया गया है, जिसके आधार पर इंतकाल सं० 687 दिनांक 11-12-15 को पारित किया गया है, के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश एवं इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। मेरे विन्नमत में अपील अपीलांत खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांत खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।
आदेश आज दिनांक 16-3-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/3/17
(करतारसिंह पूमिया)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीमंगलनगर
श्रीमंगलनगर